

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1 / शा०/ 17 / 2018—1 / 24 / 2018

लखनऊ: दिनांक १७ अप्रैल, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018—19 अनुदान संख्या—83 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर
से कमशः केन्द्रांश रु० 3054.32 लाख व राज्यांश रु० 2036.22 लाख इस प्रकार कुल रु० 5090.54 लाख
की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या—
35/2018/999/33—3—2018—100(17)/2015 दिनांक 13 अप्रैल, 2018 (प्रति सलग्न) जिसके के अन्तर्गत
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुदान संख्या—83 में आय—व्ययक प्राविधानित धनराशि रु०—141527.85 लाख के
सापेक्ष केन्द्रांश रु०—3054.32 लाख तथा राज्यांश रु० 2036.22 लाख कुल रु०—5090.54 लाख (रूपये पचास
करोड़ नब्बे लाख चौवन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः उपरोक्तानुसार
स्वीकृत कुल रु०—5090.54 लाख (रूपये पचास करोड़ नब्बे लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित
शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है—

1—आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय—व्यय) के अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप
सं०—१/2018/बी—१—३७५/दस—२०१८—२३१/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से
अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2—आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही
है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3—उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के
व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य
स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी
आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4—इस संबंध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते
हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विस्तृत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें
परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5—भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त
आवंटित धनराशि को यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा गोमती नगर, लखनऊ में उ०प्र० स्टेट सेनीटेशन मिशन
(SSM) के नाम से खोले गये खाता संख्या—521302010060034, आई०एफ०एस०सी० कोड यू बी आई एन—
0552135 में जमा किया जायेगा।

6—भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त
अवमुक्त धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

7—उक्त धनराशि का व्यय एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के लिए योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य
सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा—निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत
योजना के क्रियान्वयन हेतु समय—समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

- 8— उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या—83 के लेखाशीर्षक “2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—01—केन्द्र प्रायोजित योजनाए—0103—स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.60+रा.40 / के.+रा.)—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)” के नामे डाला जायगा।
- 9— शासकीय व्यय में मितव्ययता निरान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सीए—934 / दस—2008—मि०—१ / 2007 दिनांक 02—09—2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- 10— निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप—पत्र बी०एम०—१३ पर लेखाशीर्षक / मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
- 11— उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय—समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।
- 12— उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।
- 13— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूप—पत्र पर महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।
- प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—127 पर अंकित है।
- संलग्न:—उक्तानुसार।

भवदीय,

(आकाश दीप)

निदेशक,

पंचायती राज उत्तर प्रदेश।

संख्या:१/शा०/१७/१/२०१८ उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—१, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद—२११००१।
- 3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—२, उ०प्र० शासन।
- 5— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6— उप निदेशक(प०) / योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।
- 7— एस०पी०एम०य०० रोल, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।